UPKN010097992024

न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश कक्ष संख्या–09, कानपुर–नगर ।

उपस्थित शेष बहादुर निषाद, (एच०जे०एस०)

जमानत प्रार्थनापत्र सं0 –3313/2024

अंकित यादव उर्फ कृष्णा पुत्र राजकुमार

निवासी ग्राम चकेरी, चकेरी क्रासिंग के पास, थाना चकेरी, कानपुर नगर।

.......आवेदक / अभियुक्त

बनाम

उ०प्र राज्य द्वारा डी.जी.सी. क्रिमिनल।

........विपक्षी

मु०अ०सं०–146/2023

धारा–394, 411 भा.दं.सं.

थाना– फजलगंज, कानपुर नगर

उपस्थिति–

राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता।

अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता शशिकांत शुक्ला।

निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र 3 क–

दिनांक –10.10.2024

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–3313/2024, आवेदक/अभियुक्त अंकित यादव उर्फ कृष्णा की ओर से मु०अ०सं०– 146/2023 धारा–394, 411 भा.दं.सं., थाना– फजलगंज, कानपुर नगर के प्रकरण में जमानत हेतु जरिये तंजीन फातिमा असिस्टेंट लीगल एडवाइजर संस्थित किया गया है।

2. आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि प्रार्थी /अभियुक्त को उपरोक्त धाराओं में झूठां फंसाया गया है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। वह निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से लिखाई गयी है। पुलिस द्वारा गुडवर्क दिखाने के लिये आवेदक/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त/आवेदक की जामातलाशी में पुलिस द्वारा कुछ भी बरामद नहीं किया गया है। जो भी बरामदगी दिखायी है वह फर्जी है। गिरफ्तारी व बरामदगी में जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदक /अभियुक्त दिनांक–09.02.2024 से जेल में निरुद्ध है। आवेदक अत्यंत गरीब है। आवेदक की पैरवी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की जा रही है।आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा किसी भी न्यायालय,

माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कहीं पर भी विचाराधीन नहीं है। वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। अतः याचना की गयी है कि जमानत पर रिहा किया जावे।

3. राराज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता जमानत का विरोध करते हुये कथन किया गया है कि आवेदक द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा विशाल का बैग लूट लिया जिसमें उसके रुपये भरे थे। आवेदक द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया गया तो उसके द्वारा पुनः इसी प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति की जायेगी। इन सभी तर्कों के साथ जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त करने की याचना की गयी है।

4. संबंधित थाना हाजा से उपरोक्त अपराध से संबंधित आख्या तथा आरोप पत्र तलब किया गया। संबंधित आख्या व आरोप पत्र प्राप्त है।

5. मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा थाना हाजा से प्राप्त आख्या व आरोप पत्र का परिशीलन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी मुकदमा विशाल द्वारा दिनांक–07.12.2023 को प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या– 146/2023 अंतर्गत धारा–392 भा.दं.सं. इस आशय की दर्ज कराई कि दिनांक–06.12.2023 को समय करीब 10:30 बजे रात में अपनी मौसी सुशीला देवी को मोटरसाईकिल में बिठाकर वादी की मौसी के देवर जो कि फार्च्यून हॉस्पिटल में भर्ती है, के पेट की गांठ के ऑपरेशन के लिये 55000/–रुपये बैग में लेकर जा रहे थे। जैसे ही वह गोल स्पाट चौराहे से आगे बढ़ा तो पीछे से मोटरसाईकिल सवार दो व्यक्तियों द्वारा छपट्टा मारकर उसका बैग छीन लिया गया तथा बैग लेकर भाग गये। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से वादी मुकदमा से छीने गये रूपये को बरामद किया गया। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा धारा– 392 भा.दं.सं. को धारा–394 भा.दं.सं. में परिवर्तित किया गया तथा अभियुक्त के विरुद्ध धारा–411 भा.दं.सं. की बढ़ोतरी की गयी। आवदेक/अभियुक्त के विद्वान विधिक सलाहकार द्वारा यह बहस की गयी है कि पुलिस द्वारा आवेदक/अभियुक्त को अन्य मुकदमें में गिरफ्तार करके इस मुकदमें में भी रूपये की रिकवरी दिखाकर के आवेदक को अभियुक्त बनाकर अपना गुडवर्क दिखाया गया है। इस मुकदमें से संबंधित अन्य कोई सामान बरामद नहीं हुआ है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट मे नामजद अभियुक्त नहीं है। मौके पर गिरफ्तारी नहीं है। घटना के किसी स्वंतत्र साक्षी को गवाह नहीं बनाया गया है। अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। आवेदक/अभियुक्त की मौके से गिरफ्तारी नहीं है। उपरोक्त प्रकरण के सहअभियुक्तगण कार्तिकेय राय उर्फ गप्पू तथा हर्ष पाण्डेय की जमानत न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। प्रकरण से संबंधित आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। कोई विवेचना शेष नहीं है। अभियुक्त दिनांक–09.02.2024 से जिला कारागार में निरुद्ध है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

8. अतः मामले के समस्त तथ्य, परिस्थितियों, उभयपक्षों के अधिवक्तागण द्वारा की गयी बहस अपराध की प्रकृति, केस डायरी में आये साक्ष्य, अपराध के विषय में आवेदक / अभियुक्त की भूमिका, कथित अपराध के लिये दण्ड की अवधि, माननीय उच्चतम एवं उच्च न्यायालय द्वारा जमानत के संबंध में की गयी प्रतिपादना एवं

सिद्धांत एवं अभियक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि एवं आयु को ध्यान में रखते हुए बिना गुणदोष पर विचार किए आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु०अ०सं०– 146/2023 धारा–394, 411 भा.दं.सं., थाना– फजलगंज, कानपुर नगर के प्रकरण में प्रस्तुत जमातन प्रार्थनापत्र संख्या–3313/2024 सशर्त स्वीकार किये जाने के आधार पर्याप्त हैं।

आदेश

09. आवेदक/अभियुक्त अंकित यादव उर्फ कृष्णा पुत्र राजकुमार की ओर से मु०अ०सं०– 146/2023 धारा–394, 411 भा.दं.सं., थाना– फजलगंज, कानपुर नगर के प्रकरण में प्रस्तुत जमातन प्रार्थनापत्र संख्या–3313/2024 को सशर्त स्वीकार किया जाता है। आवेदक को उसके द्वारा रूपये 30,000/– (तीस हजार रुपये) की धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू, संबंधित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर जमानत पर अधोलिखित शर्तों के अधीन रिहा किया जाता है–

(I) आवेदक विवेचना या विचारण के दौरान अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(II) आवेदक अभियोजन साक्षियों व शिकायतकर्ता को डरायेगा/धमकायेगा नहीं।

(III) आवेदक न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा, वह परीक्षण के दौरान बिना कोई अनावश्यक स्थगन लिए नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा तथा परीक्षण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(IV) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद जमानत की स्वतंत्रता की दुरूपयोग नहीं करेगा और किसी भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा न कोई आपराधिक कृत्य करेगा।

(V) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों परिचित किसी भी व्यक्ति या पुलिस अधिकारियों को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगा न ही उनसे कोई वायदा करेगा, जिसके कारण उन्हें न्यायालय में तथ्यों को उजागर करने से विरत रहना पड़े।

(VI) यदि आवेदक अपना पता परिवर्तित करता है तो उसकी सूचना न्यायालय/विवेचक को प्रदान करेगा।

10. आदेश की एक प्रति रिमाण्ड प्रपत्र के साथ पत्रावली में संलग्न की जाए।

(शेष बहादुर निषाद)

दिनांक–10.10.2024

अपर सेशन न्यायाधीश, कक्ष संख्या–9
कानपुर नगर
आई०डी०यू०पी० 02663

Digitally signed by Shesh Bahadur Nishad
Date: 2024.10.10 17:10:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court